

मोनाबेन केतनभाई शाह व अन्य

बनाम

गुजरात राज्य व अन्य

आपराधिक अपील संख्या - 850/2004

10 अगस्त, 2004

(वाई. के. सभरवाल, डी. एम. धर्माधिकारी, जे. जे.)

संदर्भित निर्णय- के.पी.जी. नायर बनाम जिंदल मेंथॉल इण्डिया लि.

(2001) 10 एससीसी 218

श्रीमति कटटा सूजाथा बनाम फरटीलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रवणकोर
लि. व अन्य (2002) 7 एससीसी 655

उपस्थिति (अपीलकर्ता):- यू.यू. ललित, गौतम जोशी, राजेश दवे,
प्रशांत कुमार, अभिजात पी. मेध व रोहन थावानी

उपस्थिति (प्रत्यर्थी संख्यां 1):- श्रीमती हेमंतिका वाही

उपस्थिति (प्रत्यर्थी संख्यां 2):- और.पी. भट्ट, सी.एम. श्रॉफ, गिरीश
एम.एस. व एम.एन. श्रॉफ

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वाइ.के. सबरवाल द्वारा सुनाया
गया।

अनुमति स्वीकृत।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 138 और 141-फर्म के भागीदारों के खिलाफ परिवाद में अपेक्षित कथनों का अभाव है कि उन्होंने व्यवसाय में सक्रिय रुचि ली। आपराधिक दायित्व का निर्धारण धारा 141 आपराधिक दायित्व के तहत उन लोगों पर आरोप लगाया जाता है जो अपने व्यवसाय के संचालन के लिए फर्म के भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी हैं। परिवाद में लगाए गए आरोपों का सार धारा के तत्वों को पूरा नहीं करता है इसलिए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत एक परिवाद इस आशय का किया गया कि पांच अभियुक्तगण जिनमें से तीन महिलाएं थी, के खिलाफ एक फर्म के भागीदारों ने चेक के अनारदरण का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया कि परिवाद में यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है कि सभी आरोपी कारोबार के भारसाधक थे और इस तरह उक्त परिवाद अधिनियम की धारा 141 के घटकों को पूरा नहीं करती थी। विचारण न्यायालय ने आरोपी को वहां से आरोपमुक्त कर दिया कि उनके खिलाफ मामला बनाने वाले परिवाद में कोई आरोप नहीं है। हालांकि माननीय सत्र न्यायाधीश से इस आधार पर आदेश को रद्द किया कि परिवाद में उन विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया जिसमें 'सभी आरोपी कारोबार के भारसाधक' का अर्थ यह नहीं है कि वे कारोबार के भारसाधक नहीं थे और यह स्थापित करना अभियुक्त का काम था कि उन्हें

लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उन्होंने सम्यक तत्परता बरती हो। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 3 और 4 के संबंध में सत्र न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन अभियुक्त संख्या 5 के संबंध में आदेश को रद्द कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को अनुमित देते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1. पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 141 सभी साझेदारों के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती हैं। आपराधिक दायित्व उन लोगों पर तय किया गया है जो अपराध के समय कम्पन्नी के प्रभारी थे और कम्पन्नी के व्यवसाय के लिए उत्तरदायी थे। वे निष्क्रिय साझेदार हो सकते हैं जिन्हें फर्म के व्यवसाय में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है, वे महिलाएं भी हो सकती हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं जो फर्म के व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। परिवादी की प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि वह परिवाद में उन आवश्यक कथनों को अंकित करें जो अभियुक्त को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बना सके। आपराधिक दायित्व तय करने के लिए यहां कोई अवधरणा नहीं है कि प्रत्येक साझेदार लेन-देन की जानकारी रखता हो।

2. मौजूदा प्रकरण में यह स्पष्ट है कि परिवाद में अपीलकार्ताओं के विरुद्ध अपेक्षित घटकों का पूरी तरह से अभाव है कि उन्होंने व्यवसाय में सक्रिय रूची ली है, सिवाय यह बताने के कि वे फर्म के भागीदार हैं।

अपीलकार्ताओं का यह साबित करने का भार है कि जिस समय अपराध किया गया था वे फर्म के प्रभारी नहीं थे और फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, केवल तभी उत्पन्न होगा जब परिवादी इस संबंध में आवश्यक अभिकथन करें तथा तथ्य को स्थापित करे। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 5 आरोपियों के खिलाफ पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत एक चेक के अनारदरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है कि आरोपी ने उसका भुगतान रोक दिया। पांच में से तीन आरोपी महिलाएं हैं। आरोपियों द्वारा एक आवेदन इस आशय का लाया गया कि परिवाद अधिनियम की धारा 141 के घटकों को पूरा नहीं करती है, मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्देश दिया कि परिवाद में कोई आरोप नहीं है, जिससे उनके विरुद्ध कोई अपराध बनता हो। हालांकि, मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 'निसंदेह परिवाद में यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि सभी आरोपी व्यवसाय के प्रभारी थे, लेकिन केवल विशिष्ट शब्दों का उल्लेख न करने का आशय यह नहीं है कि वे व्यवसाय के प्रभारी नहीं थे।' इस दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकला कि यह आरोपियों को स्थापित करना था कि उन्हें लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उन्होंने इस संबंध में सम्यक तत्परता बरती

हो। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के संबंध में, जहां तक अपीलकार्ताओं की बात है, सत्र न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। जहां तक मूल आरोपी नं. 5 का संबंध है, सत्र न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर दिया है क्योंकि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी नं. 5, 1991 तक अहमदाबाद में शिक्षा ग्रहण कर रही थी तथा उसके बाद वह विवाह करके अमेरिका चली गई। ऐसी परिस्थिति में उसका मामला अलग आधार पर प्रतीत होता है। शेष दो बहनें विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत किये जाने कि अपील में है।

अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादरण को कारावास या जुमाना या दोनों से दण्डनीय अपराध बनाती है। धारा 141 कम्पन्नी द्वारा किये गये अपराधों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कम्पन्नी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पन्नी के व्यवसाय के संचालन के लिए कम्पन्नी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, कम्पन्नी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा। इस प्रकार उन लोगों पर परोक्ष दायित्व तय कर दिया गया है जो कम्पन्नी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और उत्तरदायी हैं। धारा 141 के प्रयोजन के लिए, एक फर्म एक कम्पन्नी के दायरे में आती है।

परिवाद में धारा 141 की भाषा को शब्दशः पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है क्योंकि परिवाद को समग्र रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है। यदि परिवाद में लगाए गये आरोपों का सार धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करता है, तो परिवाद को आगे बढ़ाना तथा विचारण किया जाना आवश्यक है। यह सत्य है कि किसी परिवाद पर विचार करते समय उसे खारिज करने के लिए अति तकनीकी नहीं अपनाया जाना चाहिए। धारा 138 और 141 के अधिनियम के, परिणामस्वरूप चेक अनादरण होने से रोकने और वाणिज्यिक लेन-देन की विश्वसनीयता बनाये रखने के प्रसंशनीय उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। यदि नोटिय जारी होने के बाद भी वैधानिक अवधि के भीतर भुगताना नहीं किया जाता है, तो यह प्रावधान किसी व्यक्ति को अपराधी दायित्व के लिए उजागर करने वाली बेइमानी को वैधानिक अवधारणा बनाते हैं। यह भी सच है कि परिवाद को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना आवश्यक है और जहां, समग्र रूप से पढ़े, परिवाद में अपराध के लिए तत्थ्यात्मक आधार रखा गया है, तो इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि परिवाद में कहे गये सभी कथनों को सही मानते हुए और उसमें लगाये गये आरोपों को परिवादी के पक्ष में उदारतापूर्ण व्याख्या करते हुए, अपराध के घटकों का सर्वथा अभाव की स्थिति में, आरोपी को दोषमुक्त करना न्यायालय का कर्तव्य है। वर्तमान मामला इसी श्रेणी में आता है जैसा कि इसके बाद देखे गये तथ्यों से स्पष्ट होगा।

उच्च न्यायालय ने अपेक्षित निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि "यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 मूल परिवादी ने परिवाद में उक्त याचिकाकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं कि याचिकाकर्ता भागीदारी फर्म के साझेदार हैं तथा सभी ने व्यवसाय में सक्रिय रूची ली है" उपरोक्त निष्कर्ष परिवाद द्वारा समर्थित नहीं है। परिवाद में कोई ऐसा तथ्य नहीं कि अपीलकर्ताओं ने व्यवसाय में सक्रिय रूची ली हो। परिवाद में दो महत्वपूर्ण खण्ड हैं और परिवाद के शेष भाग में प्रार्थना खण्ड के अलावा परिवादी द्वारा परीक्षित किये जाने वाले साक्षियों के नाम भी अंकित हैं। उक्त दो महत्वपूर्ण खण्ड इस प्रकार हैं:-

"1. इस मामले में अभियुक्तों ने अपने व्यवसाय के विकास के लिए 8. 1958 को एजेंट के माध्यम से 60 हजार रुपये की राशि ली थी जिसका भुगतान हमारे द्वारा केनरा बैंक पर आहरित चेक संख्या 7432109 के माध्यम से 60 हजार रुपये किया गया था जो प्राप्त हो गये हैं इसलिए आरोपी द्वारा रसीद भी 08-01-1998 को जारी की गई थी।

2. उक्त राशि 2.5 महीने के लिए थी इसलिए, आरोपी ने हमें एक चेक नम्बर 3358762 दिनांक 23-03-1998 को 62250 रुपये की राशि के लिए जारी किया था जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, कालानाला शाखा, भावनगर पर जारी

किया गया था। हमारे खाते में उक्त चेक प्रस्तुत करने पर आरोपी ने उक्त चेक का भुगतान रोक दिया था इसलिए इसे लौटा दिया गया था। इस संबंध में केनरा बैंक को पत्र दिनांक 17-09-1998 एस.बी.एस. कालानाला शाखा, भावनगर द्वारा सूचना दी गई थी और इसलिए 19-09-1998 को केनरा बैंक ने हमें सूचित किया इसलिए अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28-09-1998 को आरोपी को नोटिस जारी किया गया और यद्यपि नोटिस की तामील सभी पर की गई लेकिन कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।"

परिवाद के शीर्षक का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:-

"हिमांशू जयंतिलाल (कर्ता)

एच.यू.एफ.

हिमांशू

जयंतिलाल

ठक्कर.....

..... परिवादी

बनाम

सोना फाइबरस के भागीदार

(1) शाह मधुमति हर्षदराज

(2) हर्षद राय वी. शाह (एच.यू.एफ.)

(3) मोनाबेन केतनभाई शाह

(4) सोनाबेन और. शाह

(5) रूपाबेन हर्षाभाई

शाह.....

..... अभियुक्तगण"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परिवाद में अपीलकार्ताओं के खिलाफ शीर्षक में यह बताने के अलावा कोई अभिकथन नहीं है कि वे फर्म के भागीदार हैं। परिवादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि साझेदारी विलेख की एक प्रति भी दायर की गई थी जो दर्शाती है कि अपीलकर्ता व्यवसाय में सक्रिय थे। ऐसा कोई दस्तावेज परिवाद के साथ दायर नहीं किया गया था या उसका भाग नहीं बनाया गया था। साझेदारी विलेख को बाद में दाखिल करने से विवाद्यक के बिंदू को निर्धारित करने में कोई परिणाम नहीं आता है। धारा 141 सभी साझेदारों को अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती। आपराधिक दायित्व उन लोगों पर तय किया गया है जो अपराध के समय कम्पन्नी के प्रभारी थे और कम्पन्नी के व्यवसाय के लिए उत्तरदायी थे। वे निष्क्रिय साझेदार हो सकते हैं जिन्हें फर्म के व्यवसाय में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है, वे महिलाएं भी हो सकती हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं जो फर्म के व्यवसाय के बारे में कुछ

भी नहीं जानते होंगे। परिवादी की प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि वह परिवाद में उन आवश्यक कथनों को अंकित करें जो अभियुक्त को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बना सके। आपराधिक दायित्व तय करने के लिए यहां कोई अवधरणा नहीं है कि प्रत्येक साझेदार लेन-देन की जानकारी रखता हो। अपीलकार्ताओं को यह साबित करने का भार कि जिस समय अपराध किया गया था वे फर्म के प्रभारी नहीं थे और फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, केवल तभी उत्पन्न होगा जब परिवादी इस संबंध में आवश्यक अभिकथन करे तथा तथ्य को स्थापित करे। वर्तमान मामलों में परिवाद में अपेक्षित अभिकथनों का पूरी तरह अभाव है।

के.पी.जी. नायर बनाम जिंदल मेंथॉल इण्डिया लि. (2001) 10 एससीसी 218, इस न्यायालय ने माना कि आरोपों के सार को समग्र रूप से पढा जाना चाहिए और धारा 141 के घटकों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

श्रीमति कट्टा सूजाथा बनाम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावकोर लि. व अन्य (2002) 7 एससीसी 655, में आपराधिक परिवाद को रद्द कर दिया गया, क्योंकि परिवाद में यह नहीं कहा गया था कि आरोपी व्यवसाय का प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी था न ही फर्म पर उनका कोई अन्य आरोप था कि उसने चेक जारी करने के संबंध में किसी अन्य भागीदार के साथ मिलीभगत की थी।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम उच्च नयायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं और अपीलकार्ताओं को आरोपमुक्त करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

वाई. के. सभरवाल जे.

अपील स्वीकार करते हुए।

यह अनुवाद ऑटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम गढ़वाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।